

12-07-18

वकील अपीलान्ट के प्र-पत्र पर आज पेशी में
ली गई। अपीलान्ट ने उपस्थित होकर निवेदन किया
कि वह इस अपील को चलाना नहीं चाहते हैं।
अतः अपील विडो की जाए। हम अपीलान्ट
अभिभाषक के कथनों से सहमत हैं। अतः प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को विडो करने
के अतिरिक्त दिये जाते हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा
अपील विडो करने से अपील इसी स्टेज पर
खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर
बाद तकमील जाब्ता दालिम दफ्तरे हो।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

AS m
पत्रावली
शरिफ